न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2050 दिनांक 09/09/2022

प्रार्थीगण :-

1.इन्द्राराम पुत्र नगताराम, जाति मेगवाल
निवासी मेघवालों की ढाणी, सवाईसिंह की बस्ती,
तहसील शिव, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. शेम्भू पुत्र मेहरण जाति भील फौत के का.मु. :–
1/1 चांदाराम 1/2 धनाराम पि.शेम्भूराम
2.राणसिंह 3.अनोपसिंह पि.कानसिंह
जाति राणा राजपूत, निवासी बावड़ीकला
4.सरपंच ग्राम पंचायत बावड़ीकला
5.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 51/2020 दिनांक : **09.09.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ीकला के मौजा बावड़ीकला के खेत खसरा सं. 1196/478 रकबा 24.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2051 to 2054 दिनांक 09/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी इन्द्राराम करमाई वगैरा
3. विप्रार्थीगण शेम्भू के का.मु. वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन